

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0)।
सर्विस शस्त्रागार,

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी सर्विस शस्त्रागार
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) संचित पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) – शाखा से संबंधित कार्यों का सम्पादन। (ग) मुख्य आरक्षक – सर्विस शस्त्रागार में हथियारों का रखरखाव एवं समस्त सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(आउटडोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए सर्विस शस्त्रागार के निर्धारित समस्त कर्तव्यों का सम्पादन। सर्विस शस्त्रागार के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों एवं राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों व समस्त निर्देशों की पालना करवाना। ➤ आरपीआर 1948 के नियम 133, 134,137,138,140,141 के तहत सर्विस शस्त्रागार का संचालन।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टॉक रजिस्टर, ● सर्विस हथियार रजिस्टर, ● गोला बारूद का रजिस्टर, ● खराब व खोया पाया रजिस्टर, ● शस्त्र आवक जावक रजिस्टर, ● निरीक्षण रजिस्टर, ● हिस्ट्रीशीट रजिस्टर आदि।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।

8.	परामर्शदात्री समितियों अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं.-0141-2302131, पी.बी.एक्स नं0-506.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय तत् सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।